अनुदान संख्या 43 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43–DIRECT TAXES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1165,98,00		1205,52,00	1193,94,82	–11,57,18
पूरक	Supplementary	39,54,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					29,88
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			84,00,00	15,87,76	-68,12,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					66,94,68

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2020'' - "आय और व्यय पर करों का संग्रहण'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1157.18 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 3954.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" - "Collection of Taxes on Income and Expenditure" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1157.18 lakhs) constituted 29 percent of supplementary grant of Rs.3954.00 lakhs obtained in March, 2006 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure					
मू.	O.	106629.00				
पू.	S.	3954.00		110553.12	108994.28	–1558.84
पु.	R.	–29.88				

(I) "निदेशन और प्रशासन - संगठन और प्रबंधन सेवाएं" के अंतर्गत 3359.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70.75 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3430.30 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2982.83 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) निधियों का पुनर्विनियोग शीर्ष "सूचना प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत "आयुक्त और उनके कार्यालय" के अंतर्गत किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Organistion and Management Services" - the original provision of Rs.3359.55 lakhs was augmented to Rs.3430.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70.75 lakhs. However, there was a saving of Rs.2982.83 lakhs (including supplementary grant) due to re-appropriation of funds to the head "Information Technology" under "Commissioners and their offices".

(II) पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दशाई गई सीमा तक भी अप्रयुक्त रहा:-

(का) शीर्ष "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत-

(क) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन"- 2819.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1431.42 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4251.27 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 237.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ख) "निरीक्षण"- 114.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 135.10 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 13.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(II) Supplementary grant also remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) Under "Direction and Administration" -

(a) "Research, Statistics and Publication" - the original provision of Rs.2819.85 lakhs was augmented to Rs.4251.27 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1431.42 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.237.66 lakhs;

(b) "Inspection" - the original provision of Rs.114.00 lakhs was augmented to Rs.135.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.74 lakhs; and

(खा) ''संग्रहण प्रभार - आयकर - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्राक का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय'' के अंतर्गत 1407.15 लाख रु. के मूल प्रावधान को 95.76 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1502.91 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 11.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें विक्रेताओं से बिलों की अदायगी के संबंध में प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुईं।

(III) शीर्ष ''निदेशन और प्रशासन - अन्वेषण'' के अंतर्गत 123.42 लाख रु. की बचत (836.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और विक्रेताओं से बिलों की अदायगी के संबंध में प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें ''संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2250.06 लाख रु. का अधिक व्यय (2326.14 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 109311.99 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शीर्ष ''सूचना प्रौद्योगिकी'' के अंतर्गत संगठन और प्रबंधन सेवाओं की निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने तथा आयकर निरीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन होने और उनके बकाया की अदायगी किए जाने की वजह से अधिक आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(B) Under "Collection Charges - Income Tax - Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - the original provision of Rs.1407.15 lakhs was augmented to Rs.1502.91 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.95.76 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.71 lakhs.

Savings under the above three heads were due to less expenditure than anticipated towards payment of bills from vendors.

(III) Under "Direction and Administration - Investigation" - saving of Rs.123.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.836.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure incurred than anticipated towards payments of bills from vendors.

3. The above savings were partly offset by excess under "Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices" - excess of Rs.2250.06 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.109311.99 lakhs including supplementary grant of Rs.2326.14 lakhs) was due to re-appropriation of funds of Organisation and Management Services to the head "Information Technology" under the comprehensive computerisation programme increased requirement owing to revision of pay scales of Income Tax Inspectors and payment of arrears thereof.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	6600.00	1471.55	1449.73	–21.82
पु.	R.	–5128.45			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1600.00	60.00	9.98	-50.02
पु.	R.	–1540.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 5150.27 लाख रु. की बचत (6600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Under Major Head "4059"- "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation" - saving of Rs.5150.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6600.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 1590.02 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready-built Flats" - saving of Rs.1590.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें तैयार निर्मित कार्यालय/रिहायशी आवास की खरीद के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-completion of procedural requirements for purchase of ready built office/residential accommodation.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 71.95 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.71.95 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.